

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

पपत्र-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प खाड़ी

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खाड़ी
व भूअ.नि. खाड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा /नायब
तहसीलदार — की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भराई तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 93, 102, 103 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भराई	93	कालूराम	कालू
2	<u>—</u>	102	कालूराम	कालू
3	<u>—</u>	103	कालूराम	कालू

रेलमगरा
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

क्रमांक:- 186

दिनांक : 4 OCT 2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावें।
2. प्रार्थी श्री कालू बजारा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रेलमगरा
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा